FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला मुकाम खाजूवाला

अमरसिंह बनाम मो0 साबिर वगै0

किस्म मुकदमा :–प्रार्थनापत्र धारा 212 आर.टी.एक्ट

मु.नं. एवं सन 66/2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस तामील में जारी हुए
23.12.25	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता ने फॉर्म सं0 3 के साथ दस्तावेज प्रस्तुत किये जो शामिल मिसल किये गए। अप्रार्थी सं0 2 बावजूद तामिल पत्रावली पर हाजिर नहीं। अप्रार्थी सं0 01 जवाब का बंद किया जा चुका है। पत्रावली पर सुना गया। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थनापत्र के कथनों को दोहराते हुवे निवेदन किया है कि उक्त वादगत भूमि प्रार्थी के कब्जा काश्त में है एवं अप्रार्थी सं0 2 ने कूटरचित मुख्त्यारनामा तैयारकर बेचान अप्रार्थी सं0 1 के पक्ष में कर दिया है जिसका अप्रार्थी सं0 2 को कोई अधिकार नहीं था, इसलिए शुरू से ही शून्य दस्तावेज के आधार पर किये बैयनामा प्रारम्भ से ही शून्य दस्तावेज है। अप्रार्थीगण के विरूद्ध एफआईआर करवाई गई है। उक्त स्थगन नहीं होने की स्थिति में अप्रार्थीगण भूमि को खुर्द–बुर्द कर देगें जिससे और अधिक वाद–विवाद बढ़ेगें एवं प्रार्थी को अपूर्णनीय क्षति होगी। अतः वाद बहुलता नहीं बढ़े इसलिए अस्थाई निषेधाज्ञा मूल वाद के निस्तारण तक स्थाई फरमाई जावे। अप्रार्थी सं0 1 अधिवक्ता ने दौराने बहस निवेदन किया कि अप्रार्थी सं0 1 जरिये बैयनामा खरीदषुदा खातेदार है एवं बैयनामा उप–पंजीयक कार्यालय में हुआ है एवं आजदिनांक तक बैयनामा कायम है इसलिए वादगत भूमि पर समस्त हक अधिकार अप्रार्थी सं0 1 के है। उक्त प्रकरण इस न्यायालय के श्रवणाधिकार /क्षेत्राधिकार में नहीं है। प्रार्थी को न्यायालय में वाद लाने का वाद हैतुक ही प्राप्त नहीं था। अस्थाई निषेधाज्ञा के तीन मूल बिन्दू/शर्त है कि प्रथमदृष्ट्या मामला, अपूर्णनीय क्षति, सुविधा का संतुलन है उक्त तीनों ही शर्त प्रार्थी के पक्ष में नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र सारहीन होने के कारण खारिज फरमाया जावे। न्यायालय द्वारा पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन अवलोकन व बहस पर मनन किया गया। चूंकि वादगत भूमि का बैयनामा हो चुका है एवं जब तक बैयनामा कायम है, तब तक खरीददार को अपने हक–अधिकारों से वंचित किया जाना प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार उचित नहीं है। प्रार्थी प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन, अपूर्णनीय क्षति के बिन्दू को साबित करने में असफल रहे है। अतः यह पत्रावली/प्रार्थनापत्र सारहीन होने के कारण खारिज किया जाता है एवं दिनांक 08.0725 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज 23.12.25 सरे इजलास सुनाया गया।	